कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रांक :- 6208 / 154 का14-मु0क्षे0/16 दिनांक- 18-10-2016

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर।

विषय :- जनपद रामपुर में मुरादाबाद टाण्डा दढ़ियाल (प्रमुख जिला मार्ग-65) मार्ग के चैनेज-30.284 से 30.319 में ग्राम रतुआ नगला के खसरा नं0-209 तहसील टाण्डा पर पैट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-3261/51काम-रा0वृत्त/16 दिनांक 06.10.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर के संदर्भित पत्र द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तो के तारतम्य में जनपद रामपुर में मुरादाबाद टाण्डा दढ़ियाल (प्रमुख जिला मार्ग-65) मार्ग के चैनेज-30.284 से 30.319 में ग्राम रतुआ नगला के खसरा नं0-209 तहसील टाण्डा पर प्रस्तावित पैट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु मैसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली को निम्न शर्तो के साथ लो0नि0वि0 से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

1- प्रस्तावित निर्माण कार्य संलग्न अनुमोदित प्लान के अनुसार ही कराना होगा।
2- निर्माण कार्य अनुमति प्राप्त होने के एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कराना आवश्यक होगा।
3- भू-स्वामित्व के आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4- शासनादेश अनुसार लाईसेंस फीस एवं प्रोसेसिंग फीस से सम्बन्धित वांछित धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर के खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें।
5- प्रस्तावित निर्माण यदि विनियमित क्षेत्र, नगर पालिका/टाउन एरिया की सीमा में आता है तो निर्माण से पूर्व उनसे भी अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
6- प्रस्तावित निर्माण स्थल के सामने पुलिया एवं पहुँच मार्ग आवेदक को स्वयं के व्यय पर निर्माण कराना आवश्यक होगा एवं विधिवत् अनुबन्ध कराना भी आवश्यक होगा।
7- भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव मार्ग के चौड़ीकरण का आता है तो नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए आवेदक सहमत होंगे।
8- प्रस्तावित निर्माण से सड़क यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
9- उपरोक्त प्लान के अनुसार निर्माण न करने अथवा उपरोक्त किसी भी शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

अतः उपरोक्त प्रकरण अपने स्तर से जिलाधिकारी, रामपुर को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :-1-साईट प्लान-1
2-अधी0अभि0, रा0वृत का पत्र सं0-3261/
51काम-रा0वृत/16 दिनांक 06-10-16
(छाया प्रति संलग्न)

18/10/16

(के0के0एस0 राठौर)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 06-10-2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद

D:\P.W.D\PP\Petrol Pamp 2016\17.doc

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर

पत्रांक– 3261 / 51काम–रा0वृत्त / 16 दिनांक– 06/10/2016

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

विषय:– जनपद रामपुर में मुरादाबाद टाण्डा दढ़ियाल (प्रमुख जिला मार्ग–65) मार्ग के कि0मी0 चै030.284 से 30.319 के ग्राम रतुआ नगला के खसरा नं0 209 तहसील टाण्डा पर रिटेल आउट (पैट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक 4502 / प्रा0वि0 दिनांक 09.09.2016 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर ने विषयगत मार्ग पर पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) लगाने हेतु कार्य स्थल की जॉचोपरान्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रकरण संस्तुति सहित प्रेषित किया है।

अतः अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्या एवं संस्तुति के आधार पर मानचित्र में आंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार पैट्रोल पम्प लगाने की अनुमति दिये जाने हेतु पूर्ण प्रकरण संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्नक:– 1. प्रकरण मूल मे।
2. मानचित्र दो प्रति मूल मे।

(महमूद आलम)
अधीक्षण अभियन्ता,

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर।